संख्या 37-ए / XII / 2009 / 86(10) / 2005टी.सी.-1

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग देहरादून, दिनांक 05 फरवरी, 2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में क्षेत्र पंचायत विकास निधि की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्र पंचायत विकास निधि हेतु रुपये 25.00 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत की दर निम्नलिखित तालिका के अनुसार, जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित कुल धनराशि रूपये 23,75,00,000–00 (रूपये तेईस करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र) की धनरशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

| क0 | जनपद का नाम | विकास खण्डों की संख्या | सामान्य अंश (धनराशि लाख में) | एस0सी0एस0पी0 अंश (धनराशि लाख में) | टी0एस0पी0 अंश(धनराशि लाख में) | योग (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पिथौरागढ़ | 08 | 154.00 | 38.00 | 8.00 | 200.00 |
| 2. | बागेश्वर | 03 | 57.75 | 14.25 | 3.00 | 75.00 |
| 3. | अल्मोड़ा | 11 | 211.75 | 52.25 | 11.00 | 275.00 |
| 4. | उधमसिंह नगर | 07 | 134.75 | 33.25 | 7.00 | 175.00 |
| 5. | चम्पावत | 04 | 77.00 | 19.00 | 4.00 | 100.00 |
| 6. | नैनीताल | 08 | 154.00 | 38.00 | 8.00 | 200.00 |
| 7. | पौड़ी | 15 | 288.75 | 71.25 | 15.00 | 375.00 |
| 8 | टिहरी | 09 | 173.25 | 42.75 | 9.00 | 225.00 |
| 9. | उत्तरकाशी | 06 | 115.50 | 28.50 | 6.00 | 150.00 |
| 10. | देहरादून | 06 | 115.50 | 28.50 | 6.00 | 150.00 |
| 11. | रूद्रप्रयाग | 03 | 57.75 | 14.25 | 3.00 | 75.00 |
| 12. | चमोली | 09 | 173.25 | 42.75 | 9.00 | 225.00 |
| 13. | हरिद्वार | 06 | 115.50 | 28.50 | 6.00 | 150.00 |
| | **योगः–** | **95** | **1828.75** | **451.25** | **95.00** | **2375.00** |

(रूपये तेईस करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र)

1– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर सम्बन्धित जनपद के खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का व्यय कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर कराया जाय।

2. क्षेत्र पंचायत विकास निधि से कार्य कराये जाने हेतु दिशा निर्देश शासनादेश संख्या–489 / XII / 2005 / 86(10) / 2005 दिनांक 13 जून, 2005 द्वारा प्रस्तावित किए गए थे (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न) इन दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्य संपादित कराए जायें।

3. उक्त तालिका में अंकित धनराशि में अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत प्राविधानित 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्राविधानित 4 प्रतिशत की धनराशि भी सम्मिलित है, जो कमशः अनुदान संख्या 30 तथा 31 के अन्तर्गत स्वीकृत है।

4. अवमुक्त धनराशि का प्रत्येक तिमाही उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के साथ ही कार्य की प्रगति से समय समय पर शासन को अवगत कराया जाए।

5. उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाए।

6. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं भुगतान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से इसकी तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाएगा।
8.. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय । धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
9. बजट मैनुअल,वित्तीय हस्त पुस्तिका,स्टोर परचेज रुल्स,डी.जी.एस.एन.डी. की दरें अथवा टेन्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
10. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज –आयोजनागत–07 विकास खंडों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि–42–अन्य व्यय से रुपये 18,28,75,000–00, अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज –आयोजनागत–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–विकास खंडों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि की स्थापना–42–अन्य व्यय से रुपये 4,51,25,000–00 तथा अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना–03–विकास खंडों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि–42–अन्य व्यय से रुपये 95,00,000–00, की धनराशि सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जाएगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–293(P) XXVII (4)/2007, दिनांक 04 फरवरी, 2009 के द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहें हैं ।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव ।

संख्या 37-I/XII/07/86(10)/2005,टी.सी–1,तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड।
3.आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
4 समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
6 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून ।
7 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तराखण्ड देहरादून ।
8. समस्त खंड विकास अधिकारी,उत्तराखण्ड।
9. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
10. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11.निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के आवलोकनार्थ ।
12.वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन ।
13.बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय देहरादून ।
14.गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
अनु सचिव ।